

अध्यादेश और विनियम

बी. टेक कार्यक्रम

अध्यादेश और विनियम

अध्यादेश

- O.1 केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (इसके बाद सीएसएबी)/ संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण ((इसके बाद जो.सा) द्वारा आईआईआईटीडी व एम (इसके बाद, संस्थान) में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता 10+2 (क्लास XII) अंतिम परीक्षा या उसके समकक्ष में उत्तीर्ण होना
- किसी भी मान्य केंद्रीय/राज्य सेकेंडरी परीक्षा बोर्ड के, जैसे सेंट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी शिक्षा, नई दिल्ली और काउण्सलि फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाएँ, नई दिल्ली की +2 स्तर की परीक्षाएँ 10+2 पैटर्न में।
 - मान्य बोर्ड/ विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित इंटरमीडियट या दो वर्ष विश्व विद्यालय पूर्व परीक्षाएँ
 - राष्ट्रीय डिफेन्स अकादमी के जाइंट सेवा विंग के दो वर्षीय अंतिम परीक्षाएँ ।
 - भारत या विदेश में कोई पब्लिक स्कूल/बोर्ड/विश्व विद्यालय परीक्षाएँ जो भारतीय विश्व विद्यालय संघ द्वारा 10+2 प्रणाली के समकक्ष माना गया हो।
 - हेच.एस.सी. व्यावसायिक परीक्षाएँ
 - नेशनल ओपन स्कूल द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रेड में पास बशर्ते न्यूनतम पांच विषय लिया हो।
- vii) स्टेट बोर्ड आफ तकनीकी शिक्षण या एआईसीटीई द्वारा मान्य 3 या 4-वर्षीय डिप्लोमा ।
- O.2 सीएसएबी काउण्सलिंग के दौरान लिये गये निर्णय के अनुसार विशिष्ट शाखा के अध्ययन में प्रवेश
- O.3 बी.टेक पाठ्यक्रम की अवधि सामान्यतः 8 सेमेस्टर का होगा ।
- O.4 बी.टेक छात्रों को प्रदान किये जानेवाले मेरिट छात्रवृत्ति अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट द्वारा समय समय पर बनाये गये विनियम के अधीन है।
- O.5 बी.टेक डिग्री की उपाधि अकादमी सलाहकार समिति/ संस्थान के सेनेट के विनियम के अनुरूप प्रदान किया जाएगा।

विनियम

आर.1.0 प्रवेश

- आर.1.1** संस्थान में बी.टेक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विधा के लिए सीटों की संख्या का निर्णय अकादमी सहलाकार/सेनेट द्वारा निर्णय किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, और विकलांग व्यक्तियों को समय समय पर भारत सरकार द्वारा नियमानुसार आरक्षित किया गया है।
- आर.1.2** किसी भी वर्ष बी.टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए उस वर्ष के जाइंट एंटेंस परीक्षा (जेईई) मैन और हेचएससी परीक्षा के, सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी शिक्षा (सीबीएसई) के मार्गदर्शन, सीएसएबी / जो.सा द्वारा आयोजित काउण्डर्सिंग के आधार पर होगा।
- आर.1.3** जेईई मैन में परीक्षा देने के लिए योग्यता मानदंड, अध्यादेश 0.1 के अनुरूप होगा।
- आर.1.4** सामान्य संवर्ग के छात्रों के लिए जेईई मैन और मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया का निर्णय सीएसएबी करेगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग मेरिट सूची तैयार करेगा। प्रत्येक वर्ष समिति द्वारा निर्णय लिये गये अनुसार परीक्षाओं में न्यूनतम कार्यनिष्पादन मानदंड के क्रम में सीएसएबी/ जो.सा मेरिट आधार पर, उम्मीदवार द्वारा मांगे गये शाखा विकल्प को और विभिन्न संस्थानों में विधाओं के लिए उपलब्ध सीटों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश का निर्णय करेगा।
- आर.1.5** प्रवेश के समय, उम्मीदवार को योग्यता परीक्षा के किसी भी अंतिम परीक्षा लिखा होना या उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि कोई बोर्ड ग्रेड शीट में अंकों की प्रतिशतता न देकर केवल अक्षर ग्रेड प्रदान करता है तो उम्मीदवार को उस बोर्ड से समतुल्य अंक का उल्लेख करते हुए पत्र लाना चाहिए और काउण्डर्सिंग के समय समर्पित करना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा नहीं दिया गया तो उनकी योग्यता पर संयुक्त कार्यान्वयन समिति द्वारा लिये जानेवाले निर्णय अंतिम होगा।
- आर.1.6** आवेदन पत्र के साथ दिये गये सूचना ब्राउचर में उ उल्लेखितानुसार प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को चिकित्सा मानकों की पूर्ति करनी है।
- आर.1.7** प्रवेश पत्र में उल्लेखितानुसार प्रवेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद चयनित उम्मीदवार को बी.टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
- आर.1.8** प्रवेश के बाद किसी भी समय यदि यह पाया गया है कि उम्मीदवार प्रवेश के समय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते तो संस्थान प्रवेश को रद्द कर सकता है और इस मामले को अकादमी सलाहकार समिति / सेनेट को रिपोर्ट कर सकता है।

आर.2.0 बी.टेक पाठ्यक्रम की संरचना

- आर.2.1** पाठ्यक्रम के निर्देश में निम्नलिखित होगा :
- एक सामान्य कोर पाठ्यक्रम जिसमें जैसे बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग कला और गणित;
 - एक इंजीनियरिंग कोर पाठ्यक्रम जिसमें उसकी शाखा छात्र की शाखा के इंजीनियरिंग के बुनियादी बातें होगी;
 - एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम जिससे छात्र को अपनी रुचि के अनुरूप ग्रुप आफ कोर्स ले सकते हैं ;
- और
- विभाग द्वारा अनुमोदित एक परियोजना
- इसके अलावा, छात्र को संतोषजनक रूप में निर्धारित एनसीसी/एनएसओ/एनएसएस पाठ्यक्रम की पूर्ति करनी है।
- आर.2.2** पूर्ण पाठ्यक्रम के 5 संवर्ग हैं : मानविकी, बुनियादी विज्ञान, बुनियादी इंजीनियरिंग , व्यावसायिक मेजर और वैकल्पिक विषय जो प्रत्येक वर्ष दो सेमेस्टर के हिसाब से आठ सेमेस्टर में व्याप्त है।
व्यावसायिक मेजर कोर्स की शुरूआत प्रथम सेमेस्टर से होगी।
- आर.2.3** बी.टेक पाठ्यक्रम के प्रत्येक शाखा में अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट द्वारा अनुमोदित कोर्स के लिए पाठ्यक्रम एवं कोर्स कन्टेंट (सिलबी) होगा।
- आर.2.4** निम्नलिखित सामान्य पैटर्न पर कोर्स आधार पर क्रेडिट निर्धारित किया जाता है : प्रत्येक वक्रता अवधिके लिए एक क्रेडिट; प्रत्येक टुटोरियल अवधि के लिए एक क्रेडिट ; प्रत्येक प्रयोगशाला या व्यावहारिक या तीन पीरियड की परियोजना सत्र के लिए एक क्रेडिट।

आर.2.5. बी.टेक पाठ्यक्रम के किसी शाखाके करिकुलम में कुल लगभग 175 क्रेडिट होना है ताकि **बी.टेक उपाधिप्रदान किया जा सके।**

आर.2.6 **कोई भी सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में अधिकतम 27 क्रेडिट और चार प्रयोगशाला कोर्स एवं छः वक्तृता भाषण आधारित कोर्स निर्धारित है तथा निम्नलिखित बाध्यता के अधीन है।**

पांचवे सेमेस्टर से छात्र अतिरिक्त कोर्स (बैकलाग) के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। फिर भी, विशेष मामलों में, VII वे सेमेस्टर के छात्रों को सात भाषण आधारित कोर्स लेने की अनुमति दी जा सकती है यदि उन्हें पहले ही पिछले सेमेस्टर्स में सात कोर्स निर्धारित नहीं किया गया हो हालांकि:

- 4 सिफारिश में से दो-तीन लेब स्लॉट फ्री हो
- किसी भी सेमेस्टर में पंजीकृत क्रेडिट की अधिकतम संख्या 27 से ज्यादा नहीं हो
- विनियम 7.1 के सिवा पंजीकृत कोर्स से किसी भी विषय को वापस नहीं लिया जा सकता है
- छात्र के संकाय सलाहकार की सिफारिश से वह होगा
- V & VI सेमेस्टर में छात्र एक बैकलॉग कोर्स का पंजीकरण कर सकता है और VII & VIII सेमेस्टर से दो बैकलाग का पंजीकरण कर सकता है बशर्ते एक सेमेस्टर में अधिकतम 27 क्रेडिट हो।

आर.2.7 बी.टेक पाठ्यक्रम के प्रत्येक कोर्स पंद्रह संवर्ग में से जो सारणी 1 में सूचीबद्ध है एक है फिर भी, VI या उससे उच्चतर सेमेस्टर के छात्र ही स्नातकोत्तर स्तर कोर्स के पंजीकरण के लिए हकदार हैं। फिर भी ऐसे कोर्सों में प्रवेश चाहनेवाले प्रत्येक छात्र कोर्स दे रहे प्राध्यापक से अनुमति लेना चाहिए।

सारणी 1 कोर्स के वर्गीकरण

क्र.सं	संवर्ग	कोड
1.	मानविकी & प्रबंधन कोर्स	हेचएमसी
2.	बुनियादी विज्ञान कोर्स भौतिकी/ रसायन/गणित/ लाइफ साइंस	बीएससी
3.	बुनियादी इंजीनियरिंग कोर्स	बीईसी
4.	व्यावसायिक इंजीनियरिंग कोर्स	पीईसी
5.	एलाइड इंजीनियरिंग कोर्स	ईसी
6.	व्यावसायिक/ कैरियर विकास औद्योगिक भाषण/ इंटरनशिप	पीसीडी
7.	अभिकल्पना कोर्स	डीईएस

बी.टेक. उपाधिप्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट 175 है।

आर.2.8 पढाने का माध्यम, परीक्षा और परियोजना रिपोर्ट अंग्रेज़ी में होगी।

आर.3.0 संकाय सलाहकार

आर.3.1 छात्रों को अपने अध्ययन कोर्स चुनने की सहायता और अकादमी पाठ्यक्रम पर सामान्य सलाह पाने के लिए, संबंधित विभाग कुछ छात्रों को संकाय सदस्य से जोड़ेगा जिन्हें संकाय सलाहकार कहा जाएगा।

आर.4.0 कक्षा समिति

आर.4.1 बी.टेक पाठ्यक्रम की प्रत्येक कक्षा में संकाय और छात्रों से बनी एक कक्षा समिति होगी।

आर.4.2 कक्षा समिति की संरचना निम्नप्रकार होगी: (i) एक प्रोफसर को – जो विशेष कक्षा के शिक्षण से संबंधित नहीं, निदेशक/ उप निदेशक द्वारा कक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया जाता है। (ii) प्रत्येक विषय के लिए कोर्स समन्वयक (iii) कर्मशाला अधीक्षक (iv) संबंधित कक्षा से दो छात्र; और (v) संबंधित कक्षा के संकाय सलाहकार

आर.4.3 कक्षा समिति के बुनियादी उत्तरदायित्व निम्नप्रकार है

- कक्षा की प्रगति को आवधिक रूप में पुनरीक्षण करना
- पाठ्यक्रम और विषय और कक्षा चलाने से संबंधित समस्याओं की परिचर्चा
- कोर्स के मूल्यांकन के प्रकार कक्षा समिति द्वारा अध्यापक के साथ परामर्श करके किया जाएगा और सेमेस्टर की शुरुआत में ही उसे बता दिया जाएगा। फिर भी बी.टेक पाठ्यक्रम के प्रथम तीन सेमेस्टर में आम कोर्स के लिए मूल्यांकन पद्धति में दो प्रश्नमंच होगा और सत्रांत परीक्षाओं के साथ भारिता आर.19.1 में उल्लिखित है। प्रत्येक कक्षा समिति अपनी सिफारिशों को निदेशक / उप निदेशक के यहाँ सूचित करेंगे।
- कक्षा समिति, बिना छात्र सदस्य के सेमेस्टर परिणाम के अंतिमरूप देने का भी उत्तरदायी है।
- कक्षा समिति कम से कम सेमेस्टर में दो बार मिलना है, एक बार सेमेस्टर के प्रारंभ में और दूसरा ग्रेड को अंतिमरूप देने के लिए सेमेस्टर के अंत में मिलना है। फिर भी इसके कविज 11 के बाद मिलने के लिए सिफारिश की जाती है।

आर.5.0 शाखा परिवर्तन

आर.5.1 एक विधा से दूसरी विधा में परिवर्तन की अनुमति निम्नप्रकार किया जा सकता है :

टाइप	से	तक	योग्यता मानदंड
उपाधिपरिवर्तन	बी.टेक	दोहरी उपाधि	(i) 8.5 सीजीपीए (ii) बी.टेक पाठ्यक्रम के 111 वर्ष के अंत में (iii) आवेदन देने की तारीख में कोई बैकलॉक कोर्सस न हो (iv) संबंधित पाठ्यक्रम के मूल मंजूर संख्या में 10% (+) से अधिक न होने तक परिवर्तन स्वीकरणीय है। नियमित प्रवेश और भारत सरकार के नार्म्स के अनुरूप आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाएगा।
शाखा परिवर्तन	बी.टेक सीओई बी.टेक ईडीएम बी.टेक एमडीएम	बी.टेक ईडीएम/ एमडीएम / बी.टेक सीओई / एमडीएम बी.टेक सीओई / ईडीएम	(ii) I वर्ष बी.टेक के अंत में अन्य मानदंड उक्तानुसार

आर.5.2 ऐसे परिवर्तन पर प्रथम सेमेस्टर के अंत में ही विचार किया जाएगा। शाखा परिवर्तन पर विचार करने के लिए प्रथम सेमेस्टर के अंक (कार्यनिष्पादन) आधार होगा।

आर.5.3 प्रथम सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूरा किये सभी छात्र शाखा परिवर्तन के लिए योग्य हैं और रिक्तियों के अनुरूप उन पर विचार किया जाएगा।

आर.5.4 शाखा परिवर्तन में वर्तमान कक्षा संख्या में से दस प्रतिशत से कम नहीं होना है और कुल मंजूर संख्या में से दस प्रतिशत अधिक नहीं होना है। इसके लिए दोनों मामले में कक्षा में रहे छात्रों की कुल संख्या को लिया जा सकता है।

आर.5.5 फिर भी विनियम 5.4 के होते हुए भी प्रथम सेमेस्टर के अंत में प्रत्येक विधा से शाखा परिवर्तन के लिए कम से कम एक छात्र पर विचार किया जाएगा।

आर.5.6 अन्य समस्याओं के कारण यदि किसी छात्र को उच्चतर जीपीए रखते हुए भी विशिष्ट शाखा नहीं दी गयी है तो उसे उससे कम जीपीए रखनेवाले अन्य छात्र को भले ही वर्तमान नार्म्स के आधार पर योग्य हो, नहीं देना है।

आर.6.0 पंजीकरण और नामांकन

आर.6.1 प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर पिछले सेमेस्टर के सत्रांत परीक्षाओं के एक सप्ताह पहले विनिर्दिष्ट सप्ताह के दौरान पंजीकरण किया जाएगा।

पंजीकरण के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख से दो सप्ताह तक समय समय पर निर्धारित जुर्माना देर पंजीकरण/नामांकन के लिए

होगा।

- आर.6.2** दूसरे सेमेस्टर से सभी छात्रों को निर्धारित दिनांक पर सेमेस्टर के आरंभ में नामांकित करना है। छात्र नामांकन के लिए तभी योग्य है जब आर.10.0 के अनुकूल है और संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय और पिछले सेमेस्टर के अंत तक के एनसीसी यूनिट के लिए कोई देयता नहीं हो बशर्ते संस्थान द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई पर नामांकन के लिए वंचित किया हुआ न हो।
- आर.6.3** पंजीकरण शीट में कोर्स नम्बर, कोर्स नाम, क्रेडिट के नम्बर और सेमेस्टर में लिये गये प्रत्येक कोर्स के संवर्ग हैं। छात्र अपना संकाय सलाहकार के साथ परामर्श करके चयन करना है।
- आर.6.4** बी.टेक छात्र भी पाठ्यक्रम में निर्धारित कोर्स के अलावा अतिरिक्त कोर्स लेने के लिए योग्य हैं यानी पाँचवा, छठा और सातवाँ सेमेस्टर में एक कोर्स और 8वाँ और 10वाँ सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा दो कोर्स, बशर्ते अधिकतम 15 क्रेडिट हो, और छात्र कोई बैकलॉग नहीं रखता हो और पिछले सेमेस्टर में 7.0 या उससे अधिक सीजीपीए रखता हो। अतिरिक्त कोर्स लेनेवाले छात्र निदेशक/ उप निदेशक के पूर्व अनुमोदन लेना है। इसे ग्रेड कार्ड में ईएक्सटी संवर्ग में दिखाया जाएगा और सीजीपीए गणना के लिए लिया जाएगा।

आर.7.0 पंजीकरण आवश्यकताएँ

- आर.7.1** किसी सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम, अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर, सामान्यतः 21 और 29 के बीच क्रेडिट का होगा। किसी सेमेस्टर में यदि कोई छात्र महसूस करता है कि भारी है, या और कोई वैध कारण हो, वह सेमेस्टर के प्रारंभ होने का तीन सप्ताह के अंदर कोर्स को ड्रॉप कर सकता है लेकिन प्रथम कविज की शुरुआत के पहले अपने संकाय सलाहकार से लिखित रूप में अनुमोदन लेना है। फिर भी, छात्र को सुनिश्चित करना है कि किसी भी सेमेस्टर में पंजीकृत क्रेडिट की कुल संख्या उन्हें आर.8.1 के अनुरूप है।

आर.8.0 पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ

- आर.8.1** छात्र को प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 10 सफलतापूर्वक क्रेडिट पाना है, दूसरे सेमेस्टर के अंत में 26 सफलतापूर्वक क्रेडिट पाना है। उसके बाद प्रति सेमेस्टर में औसतन 14 क्रेडिट रखना है जिसमें प्रथम दो सेमेस्टर भी शामिल है। फिर भी अंतिम सेमेस्टर में छात्र 14 क्रेडिट से कम पा सकता है हालांकि वह उपाधिपाने के लिए आवश्यकता को पर्याप्त रखता हो। उक्तानुसार प्रत्येक सेमेस्टर में यदि छात्र उपयुक्त क्रेडिट पाने से विफल होता है तो उस पाठ्यक्रम से बाहर हटा दिया जाएगा।
- आर.8.2** छात्र जो प्रथम छः सेमेस्टर में एनसीसी/ एनएसओ/ एनएसएस आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है (देखें आर.27) उन्हें बी.टेक पाठ्यक्रम में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- आर.8.3** छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में सफलतापूर्वक समाप्त किये कोर्स के सीजीपीए की संगणना में न्यूनतम 5.0 (देखें आर.26.2) रखना है। यदि ऐसे संगणना किये गये सीजीपीए 5.0 से कम है या वह औसतन 20 क्रेडिट से कम अर्जित किया है तो अगले सेमेस्टर में भी यदि सीजीपीए 5.0 से कम हो या आर.8.1. के अनुसार औसतन 14 क्रेडिट न पाया गया है तो उसका नाम नामांकन से निकाल दिया जाएगा।

आर.9.0 पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि

- आर.9.1** बी.टेक पाठ्यक्रम को छात्र आठ सेमेस्टर में पूरा करने की आशा की जाती है। फिर भी पाठ्यक्रम को धीमी गति से पूरा किया जा सकता है लेकिन किसी भी हालत में 12 सेमेस्टर से अधिक अवधि नहीं लेनी है जिसमें चिकित्सा ग्राउण्ड आदि पर छोड़े गये सेमेस्टर आदि आर.12 के अनुसार शामिल नहीं है। फिर भी छात्र को आर.8.1 के अनुरूप प्रत्येक सेमेस्टर में पूरा करना है जिसकी विफलता पर उसके पंजीकरण रद्द किया जाएगा।

आर.10.0 पाठ्यक्रम को बीच में ही अस्थायी रूप में छोड़ना

- आर.10.1** निदेशक/ उप निदेशक की अनुमति से पाठ्यक्रम को बीच में सेमेस्टर या उससे अधिक समय के लिए बीमारी या अन्य वैध कारणों के लिए छोड़ा जा सकता है। सामान्यतः किसी छात्र को **अधिकतम लगातार दो सेमेस्टर की अवधिके लिए ही पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।**

आर.11.0अनुशासन

- आर.11.1 प्रत्येक छात्र को अनुशासन का अनुपालन करना है और कैम्पस के अंदर और बाहर अच्छी तरह व्यवहार करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्थान के मान पर कलंक हो।
- आर.11.2 छात्र के कोई भी अनुशासनहीन कार्य निदेशक/ उप निदेशक के यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और संस्थान की अनुशासन समिति (डीडब्ल्यूसी) को रिपोर्ट किया जाएगा। समिति आरोपों पर पूछताछ करेगी और आरोप सही है तो उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी। अनुशासन और कल्याण समिति की सिफारिशों को निदेशक/उप निदेशक को भेजा जाएगा और निदेशक / उप निदेशक को उचित कार्रवाई लेने का प्राधिकार देगा।
- आर.11.3 अपील : छात्र अकादमी सलाहकार समिति / सेनेट में परिचर्चा के लिए निदेशक/ उप निदेशक को अपील कर सकता है और एएसी/ सेनेट का निर्णय अंतिम होगा।
- आर. 11.4 किसी भी दृष्टिसे रैगिंग आपराधिक गतिविधि है और हमारे देश और राज्य में नॉन-बेइलबिल गलती है और केंद्रीय विधान में कारावास सहित सख्त दंड का प्रावधान है। यदि कोई छात्र रैगिंग करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें संस्थान से बाहर भेज दिया जाएगा और किसी भी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस अमानवीय कार्य में यदि कोई एक को इंकित किया न सका तो सामूहिक दंड के लिए भी प्रावधान है। संस्थान के प्रत्येक वरिष्ठ छात्र माता-पिता सहित प्रत्येक वर्ष लिखित रूप में यह आश्वासन देगा/देगी और एनरोलमेंट के समय पर समर्पित करेगा।

आर.12.0 उपस्थिति

- आर.12.1 प्रत्येक शिक्षण स्टाफ सदस्य जो कक्षा को संभालते हैं, सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिवस के 3 कैलण्डर दिवस के पहले ही उपस्थिति का विवरण दे देना है।
- आर 12.2 जो छात्र 85% तक की उपस्थिति नहीं रखता है, जो भी कारण हो, उन्हें उस कोर्स की सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा लिखने नहीं दिया जाएगा।
उसका पंजीकरण उस कोर्स के लिए रद्द माना जाएगा और उन्हें उस कोर्स में 'डब्ल्यू' ग्रेड दिया जाएगा। (डब्ल्यू का मतलब न्यूनतम उपस्थिति न होने के कारण पंजीकरण का रद्द होना) यह ग्रेड, ग्रेड कार्ड में तब तक दिखाया जाएगा जब तक वह सफलतापूर्वक पूरा न किया हो।
यदि कोर्स हार्ड कोर हो तो छात्र को पंजीकृत करना है और जब उस कोर्स को आफर किया जाता है पुनः करना है।
- आर.12.3 प्रत्येक शिक्षण स्टाफ सदस्य जो कक्षा को संभालते हैं, सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिवस के 3 कैलण्डर दिवस के पहले ही उपस्थिति का विवरण दे देना है।
उन छात्रों के नाम को जो 85% से कम उपस्थिति रखे हैं कक्षा में अध्यापक स्वयं घोषित करेंगे। उनकी प्रतियाँ अकादमी कोर्स के डीन को और संबंधित विभागाध्यक्ष को भिजवाना है। छात्र जो 85% से कम उपस्थिति रखता है सेमेस्टर के अंतिम परीक्षा लिखने के लिए निदेशक/ अकादमी कोर्स के डीन की अनुमति के बिना अनुमति नहीं देनी है।
- आर.12.4 **उपस्थिति को माफ करना** : अनुपस्थिति की कमी को तब माफ किया जाएगा जब चिकित्सा छुट्टी से इतर अवधिमें 85% से अधिक उपस्थिति रखता हो तो बशर्ते कुल अनुपस्थिति कोर्स में 40% से कम न हो जिसमें बीमारी की अवधिभी शामिल हो।
(1) व्यक्तिगत कारणों और छोटी मोटी बीमारी के लिए ली गयी छुट्टियों में से 15% को छोड़ा जा सकता है।
(2) अस्पताल में भरती होकर बड़ा / लंबी अवधिचिकित्सा लिये छात्रों के लिए संस्थान अतिरिक्त अधित्याग पर विचार कर सकता है। ऐसे उम्मीदवार एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जिसे संस्थान के डॉक्टर पृष्ठांकित करना है और निदेशक/ उससे नामांकित व्यक्ति उस पर प्रति मामले के अनुसार, उपयुक्त निर्णय ले सकता है।

आर.13.0 मूल्यांकन प्रक्रिया- जांच और परीक्षाएँ

- आर.13.1 प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय में जांच और परीक्षाओं की प्रणाली पर समय समय पर अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट निर्णय लेगा।

आर.14.0 परीक्षण प्रणाली

- आर.14.1 प्रति सेमेस्टर प्रत्येक कोर्स में कक्षा समिति द्वारा निर्णयित रूप में प्रथम तीन सेमेस्टर और उच्चतर सेमेस्टर कोर्स के लिए यदि

आम कोर्स हो तो वक्रतृता / टूटोरियल आधारित विषय में **दो कविज (परीक्षण) होगा**। इन कविज के अंक के बारिता को कक्षा समिति और निदेशक/ उप निदेशक के परामर्श के साथ सेमेस्टर के प्रारंभ में ही छात्रों को बताना है।

आर.15.0 सत्रांत परीक्षा

आर.15.1 प्रत्येक वक्रतृता आधारित विषय की एक सत्रांत परीक्षा होगी।

आर.16.0 परियोजना मूल्यांकन

आर.16.1 परियोजना की पूर्ति पर छात्र एक परियोजना रिपोर्ट समर्पित करेगा जिसका मूल्यांकन विधिवत नियुक्त परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित होगा और परियोजना पर एक मौखिक परीक्षा होगी।

आर.16.2 बी.टेक छात्रों की परियोजना रिपोर्ट जो अपना कोर्स कार्य पूरा नहीं किया हो, का मूल्यांकन उसी सेमेस्टर पर मूल्यांकित किया जाएगा और परिणाम गुप्त रूप में अकादमी कोर्स डीन को भेजा जाएगा। परियोजना कार्य मूल्यांकन का परिणाम अकादमी कोर्स के डीन द्वारा उन छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने पर ही घोषित किया जाएगा।

आर.17.0 भरिता

आर.17.1 प्रथम तीन सेमेस्टर के आम कोर्स के लिए: विभिन्न विषयों के लिए निम्नलिखितानुसार भरिता होगी :

- सेमेस्टर समाप्तिपूर्व परीक्षाओं में क्विज/परियोजनाएँ/ एसैन्मेंट और सत्रांत परीक्षाएँ होंगी। सेमेस्टर समाप्तिपूर्व परीक्षाओं का कुल अंक सत्रांत परीक्षाओं के कुल अंक से ज्यादा न होना है यानी सत्रांत परीक्षाओं का अंक 50% होना है।
- प्रयोगशाला/ प्रैक्टिस कोर्स में इसी पैटर्न का अनुपालन किया जाए
बी.टेक पाठ्यक्रम के उच्चतर सेमेस्टर के सैद्धांतिक कोर्स के लिए भरिता सेशनल मूल्यांकन और सत्रांत परीक्षाएँ दोनों के लिए 40% से कम नहीं होना चाहिए। उक्त अवरोध के अधीन कक्षा समिति स्वयं किसी भी कोर्स के लिए भरिता का निर्णय कर सकता है और सेमेस्टर के प्रारंभ से 2 सप्ताह के अंदर छात्रों को सूचित कर सकता है।

आर.17.2 सभी परीक्षण, टूटोरियल एसैन्मेंट (यदि कोई हो तो) प्रयोगशाला काम और परीक्षाएँ अब्सलूट आधार पर होगा। आर.17.1 में दिये गये अनुसार प्रत्येक विषय के लिए अंतिम अंक प्रतिशतता की गणना की जाएगी।

आर.18.0 मेक-अप परीक्षाएँ

आर.18.1 वैध कारणों से यदि कोई छात्र क्विज या सत्रांत की परीक्षाएँ न दे पाता है तो वे मेक-अप परीक्षाओं के लिए योग्य हैं। एक ही मेक-अप परीक्षा उस सेमेस्टर के लिए अनुमेय है। छात्र जो क्विजों में भाग नहीं ले पाये हैं और उसी कोर्स में वैध कारणों के कारण जैसे बीमारी आदि सत्रांत परीक्षाएँ नहीं दे पाये हैं तो मेक-अप परीक्षाएँ केवल उस सत्रांत परीक्षाओं के लिए लिख सकते हैं। उन्हें एक आवेदन निदेशक/ उप निदेशक/ परीक्षा सेल को छूट गयी परीक्षा की तारीख से दस दिन के अंदर कारण बताते हुए देना है।

इस निर्धारित समय के बाद आनेवाले आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आर.18.2 मेक-अप परीक्षाओं में बैठने की अनुमति असाधारण अवस्थाओं में जैसे बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती, दी जाएगी।

- चिकित्सा आधार पर छुट्टी आवेदन देने पर, छात्रावास में रहनेवाले छात्रों को संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है कि वह क्विज/ परीक्षाओं की अवधिपर अस्पताल में रहे थे।
- छात्रावास में रहनेवाले छात्र और बाह्य डाक्टरों से सलाह लेनेवालों को संस्थान अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से लिखित अनुमति **परामर्श के लिए जाने के पहले** लेना है।
- छात्रावास में रहनेवाले छात्र लेकिन बाह्य डाक्टरों से सलाह लेनेवालों को संस्थान अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा पाये प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन लेना है।
- कैंपस से स्थायी रूप से/ अस्थायी रूप से रह छात्र पंजीकृत चिकित्सा देनेवाले डाक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है जिसपर माता-पिता/अभिभावकों से पृष्ठांकित किया जाना है।
- चिकित्सा से संबंधित अन्य दस्तावेज (जैसे प्रसिक्रिप्शन, मेडिसन बिल आदि) चिकित्सा छुट्टी के प्रमाण में आवेदन के साथ

रखना है।

आर.18.3 एक मेक-अप परीक्षा सत्रांत परीक्षाओं के लगभग दो सप्ताह के बाद होगा उनमें जिन छात्रों को मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी गयी लिख सकते हैं।

उस विषय के मेक-अप परीक्षा लेनेवाले सभी छात्रों के लिए आम प्रश्न-पत्र ही दिया जाएगा।

फिर भी प्रश्न पत्र का सांचा ऐसा होगा कि छात्रों द्वारा छूट गए परीक्षण/ परीक्षा के भरिता के आनुपातिक अंक के लिए ही आंशिक पेपर ही लिखना होगा।

आर.18.4 एक छात्र जो इस मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाता उसे दूसरी बार मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती है।

फिर भी असाधारण ज्वर मामलों में जिससे छात्र मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाते हैं तो अकादमी कोर्स के डीन/ परीक्षा सेल सेनेट के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट के अनुमोदन के साथ छात्र को दूसरा मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी जा सकती है।

आर19.0 अनुपूरक परीक्षाएँ

निम्नलिखित विनियम के तहत छात्र जो किसी कोर्स में यू ग्रेड लिया है उसको अनुपूरक परीक्षाएँ लिखने की अनुमति दी जाती है :

- (1) आर 10.2 द्वारा प्रतिबंधित किसी भी कोर्स के लिए एक छात्र अनुपूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।
- (2) विषम सेमेस्टर कोर्सों की अनुपूरक परीक्षाएँ समसंख्यक सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षाओं की समाप्तपिर आयोजित की जाएगी और इसी प्रकार समसंख्यक सेमेस्टर के लिए भी।
- (3) छात्रों को प्रति कोर्स आधार पर अनुपूरक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण प्रति कोर्स के लिए रू500 के हिसाब से भरना होगा।
- (4) अनुपूरक परीक्षा (सप्लीमेंटरी परीक्षा) लिखनेवाले छात्रों का ग्रेड पूर्णतः अनुपूरक परीक्षा के कार्यनिष्पादन/अंकों के आधार पर ही होगा।

समय समय पर जारी करनेवाले परिपत्र के अनुसार छात्रों को अनुपूरक परीक्षाओं के लिए जो संस्थान द्वारा अनुसूचित होगी, रजिस्टर करना है।

आर.20.0 छात्रों के विषय-वार ग्रेडिंग

आर.20.1 सेमेस्टर कार्यनिष्पादन के आधार पर, प्रत्येक छात्र को अंतिम अक्षर ग्रेड प्रत्येक विषय में दिया जाता है। अक्षर ग्रेड और उससे इंकित होनेवाले ग्रेड पाइंट्स का विवरण निम्नप्रकार है :

एस	10	ग्रेड पाइंट्स	
ए	9	”	
बी	8	”	
सी	7	”	
डी	6	”	
ई	4	”	
यू	0	-	अयोग्य / विफलता
डब्ल्यू	0	-	पर्याप्त उपस्थिति न होने के कारण विफलता
आई	0	-	अपूर्ण (बाद में उत्तीर्ण घोषित
		-	(ई से एस) या यू ग्रेड उसी सेमेस्टर में)
एक्स	0	-	पूर्ण (एनएसओ/एनसीसी/एसएसएस में)
वाई	0	-	अपूर्ण (एनएसओ/एनसीसी/एसएसएस में)

आर.20.2 जब किसी छात्र यू/एफ या डब्ल्यू या आई के सिवा और कोई ग्रेड पाता है तो माना जाता है कि उस छात्र सफलतापूर्वक अपना

पाठ्यक्रम पूरा कर चुका है। किसी विषय पर यू/एफ या डब्ल्यू है तो उसका मतलब उस विषय पर अनुत्तीर्ण है। सफलतापूर्वक पूरा किये गये विषय को पुनः नहीं लिख सकेंगे।

आर.21.0 ग्रेड प्रदान कराने की पद्धति

आर.21.1 सत्रांत सेमेस्टर परीक्षा के अंतिम दिन से सात दिनों के अंदर कक्षा समिति की अंतिम बैठक छात्र सदस्य के बिना बुलायी जाएगी। इस बैठक में प्रदान किये जानेवाला अक्षर ग्रेड का अंतिम रूप दिया जाएगा।

आर.21.2 प्रत्येक विषय के लिए जिसमें अंतिम ग्रेड हो के परिणाम शीट दो प्रतियाँ और उपस्थिति कोड शीट और निरपेक्ष अंक के दो प्रतियाँ, अंतिम ग्रेड और उपस्थिति कोड प्राध्यापक द्वारा संबंधित कक्षा समिति के अध्यक्ष को समर्पित किया जाना है। कक्षा समिति बैठक में ग्रेड के अंतिम निर्णय लेने के बाद एक प्रति निरपेक्ष अंक के साथ और एक निरपेक्ष अंक के बिना केवल ग्रेड के साथ वर्ग समिति अध्यक्ष से निदेशक / उप निदेशक को अग्रेषित किया जाएगा।

आर.22.0 परिणाम की घोषणा

आर.22.1 प्रत्येक विषय में छात्रों को प्रदान किये जानेवाले अक्षर ग्रेड विभागीय सूचना बोर्ड में आर.19.1 के क्रम में कक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप दिये जाने के बाद बी.टेक पाठ्यक्रम के अक्षर-ग्रेड प्रत्येक कोर्स के लिए प्रदान किया जाता है जिसे अकादमी सेक्शन सूचित करेगा। बाकी कोर्सों के लिए तृतीय सेमेस्टर में प्रदान किया जाएगा और चतुर्थ और उसके उच्चतर सेमेस्टर में प्रदान किये गये कोर्स, विभाग द्वारा अक्षर ग्रेड विभाग के नोटीस बोर्ड में प्रदर्शित किया जाता है।

आर.22.2 एक बार डब्ल्यू ग्रेड प्रदान किये जाने पर वह छात्रों के रिकार्ड में होगा और वह तभी निकाला जाएगा जब वह उस विषय पर बाद में सफलतापूर्वक पूरा करता/करती है बशर्ते कितनीवीं बार में पूरा किया है उसकी सूचना होगा।

आर.22.3 छात्रों द्वारा पाये गये 'यू' ग्रेड सफलतापूर्वक पूरे किये कोर्स के आधार पर ग्रेड कार्ड से निकाल दिया जाएगा और कितनीवीं बार में पूरा किया विवरण भी लीका दिया जाएगा।

आर.23.0 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः जांच

आर.23.1 यदि कोई छात्र सोचता है कि वंचित हुआ है तो पुनः जांच के लिए वह संबंधित प्राध्यापक से संपर्क कर सकता/सकती है बशर्ते परिणाम घोषित कर अगले सेमेस्टर के प्रारंभ होने के तीन सप्ताह के अंदर होना है। सत्रांत परीक्षा के अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र देख सकते हैं, संबंधित प्राध्यापक दिखाएँगे। यदि प्राध्यापक महसूस करते हैं कि मामला सही है तो उसके पुनः परीक्षा कर सकता है और यदि कोई हो तो परिवर्तित ग्रेड को निदेशक / उप निदेशक को कक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा औचित्य सहित परिवर्तन के लिए अग्रेषित कर सकता है।

आर.23.2. परिणाम घोषित करने की तारीख से 6 महीनों तक ही उत्तर पुस्तिकाओं का संरक्षण किया जाएगा। उस अवधि के बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके संस्थान द्वारा स्कॉप में डाल दिया जाएगा।

आर.24.0 कोर्स पुनरवृत्ति

आर.24.1 किसी भी कोर विषय पर एक छात्र यू या डब्ल्यू ग्रेड लेने पर अगली बार आफर करते समय अनिवार्य रूप से उस विषय की पुनरवृत्ति करनी है। किसी भी वैकल्पिक विषय में छात्र यू या डब्ल्यू और कोर कोर्स में यू लेता है तो छात्र को सफलतापूर्वक ग्रेड प्राप्त करने के लिए उसकी पुनरवृत्ति करने का विकल्प है। सफलतापूर्वक पूरे किये कोर्स के लिए पुनरवृत्ति नहीं है।

आर.25.0 ग्रेड कार्ड

आर.25.1 प्रत्येक छात्र को सत्रांत में जारी किये जानेवाले ग्रेड कार्ड में निम्नलिखित होगा :

- क. उस सेमेस्टर के लिए पंजीकृत प्रत्येक कोर्स के लिए क्रेडिट
- ख. प्रत्येक कोर्स में पाये अक्षर ग्रेड
- ग. प्रत्येक कोर्स के उपस्थिति कोड
- घ. प्रत्येक कोर्स संवर्ग के सेमेस्टर के अंत तक छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट की कुल संख्या
- ङ. सभी कोर्स के प्रथम सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक, क्युमुलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए)

आर.25.2 ग्रेड पाइंट एवरेज (जीपीए) निम्नलिखित सूत्र द्वारा संगणित किया जाएगा

$$GPA = \frac{\sum_i (C_i \times GP)}{\sum_i C_i}$$

जहाँ C_i = कोर्स के क्रेडिट, जीपी= कोर्स के लिए प्राप्त ग्रेड पाइंट और $\sum_i C_i$ = उस सेमेस्टर में लिये गये ओवरआल कोर्स में क्रेडिट के कुल, जिसमें छात्र द्वारा लिये गये यू या डब्ल्यू ग्रेड भी शामिल है।

इसी प्रकार के फार्मुला क्युमिलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए) के लिए भी अपनाया जाता है जिसमें $\sum_i C_i$ उस अवधितक के सभी पूरे किये गये सेमेस्टर के ओवरआल कोर्स के क्रेडिट के कुल दर्शाया जाएगा।

सफलतापूर्वक पूर्ण किये कोर्सों के आधार पर सीजीपीए की गणना की जाती है, जिसमें 'य' या 'डब्ल्यू' ग्रेड को छोड़ दिया जाता है और उसे अलग रूप से ग्रेड कार्ड में दर्शाया जाता है।

आर.25.3 बी.टेक पाठ्यक्रम के अंत में छात्र को कोई श्रेणी / डिविशन/ रैंक प्रदान नहीं किया जाएगा।

आर.26.0 एनसीसी/एनएसओ/एसएसजी की आवश्यकताएँ

आर.26.1 बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाये सभी छात्र को पाठ्येतर पाठ्यक्रम के रूप में एनसीसी/एनएसओ या एनएसएस लेना ही है। एनसीसी कार्यक्रम विदेशी और महिला छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं है।

आर.26.2 एनसीसी कार्यक्रम को चार सेमेस्टर में पूरा करना है। जिमखाना द्वारा घोषितानुसार एनएसओ/एसएसएस पाठ्यक्रम संपन्न होगा।

आर.26.3 एनसीसी/एनएसओ/एनएसएस की आवश्यकताओं को प्रथम चार सेमेस्टर के अंदर पूरा करना है।

आर.26.4 न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकताएँ 85% है।

आर.26.5 यदि किसी छात्र को उपस्थिति आवश्यकताएँ कम हैं तो निम्नप्रकार से उस कमी को दूर करना है :

- (i) यदि अनुपस्थिति वैध आधार पर है तो कमी को उसी वर्ष अप्रैल के दौरान प्रदान किये जानेवाले अतिरिक्त एनसीसी/एनएसओ/ एसएसएस पाठ्यक्रम द्वारा दूर करना है।
- (ii) यदि अनुपस्थिति अप्राधिकृत है तो कमी को आगे के वर्ष में दूर करना है। एनसीसी की कमी को एनएसओ/एनएसएस कार्यक्रमों में कमी की तुलना में चार गुणा भाग लेकर दूर करना है : छूट गये प्रत्येक एनसीसी/एनएसएस वर्ग को चार एनएसओ कक्षा में शामिल होकर दूर करना है। छूट गये एनएसओ/एनएसएस वर्ग को प्रत्येक के लिए दो कक्षा में शामिल होकर दूर करना है।

आर.27.0 छात्रवृत्ति और शिक्षा शुल्क छूट

आर.27.1 प्रवेश पाये छात्रों में से 25% या कुल मंजूर की संख्या में से 25%, जो भी कम हो, को बी.टेक छात्रों के जैसे ही मेरिट व मीन्स (एमसीएम) छात्रवृत्ति शर्तों और स्थितियों के अधीन समय समय पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर पूरी अवधितक प्रदान किया जाएगा।

इन छात्रों को शिक्षा शुल्क भरने से छूट दी जाती है।

यदि छात्रवृत्ति प्राइवेट संगठन द्वारा दिया जाता है तो दर और शर्तों और स्थितियाँ जो ऐसी छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए है, अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

इसके अलावा 10% के छात्र जो प्रवेश पाये हैं या कुल मंजूर संख्या के 10% , जो भी कम हो, पाठ्यक्रम के 8 सेमेस्टर्स के लिए शिक्षा शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमानुसार अनुसूचित जाती / अनुसूचित जन जाती उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य लाभा प्रदान किया जाएगा ।

वर्तमान सरकारी विनियम के साथ, यदि कोई हो तो, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों के चयन के लिए निदेशक/ उप निदेशक प्रशासनिक प्रक्रियाओं की तैयारी करेंगे। संख्या और चयन किये गये छात्रों का विवरण अकादमी सलाहकार समिति / सेनेट के यहाँ दिया जाएगा।

इन छात्रवृत्तियों के नवीकरण निम्नलिखित नियमानुसार होगा:

- I. नवीकरण के पहले के दो सेमेस्टर के न्यूनतम सीजीपीए 7.5 या उससे अधिक होना है।
- II. नवीकरण के लिए आवेदन के दिनांक पर छात्र को कोई बैकलॉक विषय नहीं होना है
- III. बी.टेक अध्यादेश और विनियम द्वारा निर्धारित क्रेडिट के आवश्यक संख्या को छात्र को अर्जित करना है।
- IV. अनुशासनिक समिति द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे सही करने का मापन कार्य के अनुशासनहीनता के किसी कार्य में छात्र न लगना है।

आर.28.0 बी.टेक उपाधिप्रदान करने के लिए आवश्यक योग्यताएँ

आर.28.1 बी.टेक उपाधिप्रदान करने के लिए छात्र को लायक तब घोषित किया जाएगा जब वह

- a) पंजीकृत और सफलतापूर्वक सभी कोर कोर्स और परियोजना को पूरा किया हो;
- b) करिकुलम में उल्लेखितानुसार निर्धारित अवधिके अंदर अपने स्ट्रीम के पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक पाये हो ;
- c) विषयों के सभी संवर्ग में निर्धारित क्रेडिट का अर्जन ;
- d) एनसीसी/एनएसओ/एसएसएस आवश्यकताओं की पूर्ति किया हो ;
- e) संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय, एनसीसी/एनएसएस/एसएसओ आदि के कुछ देय न हो और
- f) उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई निलंबित न हो

छात्र जो विदेश के विश्व विद्यालय एनयूएस/डीएडी के संदर्शन या किसी और विश्व विद्यालय का संदर्शन परिवर्तन पाठ्यक्रम के तहत करते हैं क्रेडिट अंतरण के लिए निम्नलिखित को अपनाया जाएगा :

ग्रेड शीट में इंकित क्रेडिट/ग्रेड का उपयोग जो उस विश्व विद्यालय से प्राप्त है जहाँ छात्र अपना पाठ्यक्रम किया है, छात्र द्वारा ट्रांसक्रिप्ट के अंश के रूप में करना चाहिए।

आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम ट्रांसक्रिप्ट केवल, आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम में पूरा किये कोर्स, क्रेडिट और ग्रेड को दर्शाता है और उस विनिर्दिष्ट सेमेस्टर में अन्य विश्व विद्यालय में पाये गये (ग्रेड के बिना) क्रेडिट को दर्शाता है।

संस्थान में दिये गये क्रेडिट आधारित सीजीपीए संगणना के आधार पर ही पुरस्कार प्रदान करना है।

विदेश विश्व विद्यालयों पर पाये गये क्रेडिट को उपाधिप्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट के लिए गणना की जाएगी।

आर.28.2 बी.टेक (हानर्स) पाठ्यक्रम

बी.टेक (हानर्स) पाठ्यक्रम के लिए एक छात्र को निम्नलिखित नियमों की पूर्ति करने पर योग्य घोषित किया जाएगा।

- a) 4वाँ सेमेस्टर के अंत में छात्र द्वारा हानर्स पाठ्यक्रम का विकल्प दिया जाना चाहिए।
- b) न्यूनतम सीजीपीए 9.0 होना है (पंजीकरण और प्रदान करने की योग्यता)
- c) सभी कोर्स को प्रथम बार लिखते ही 'एस' से 'डी' तक के ग्रेड के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया होना है।
- d) डिसिप्लिन कोआर्डिनेटर (सहयोजक) द्वारा पहचाने गये विशिष्टीकरण से संबंधित 09 अतिरिक्त क्रेडिट के लिए पंजीकरण. उक्त शर्तों में विफल होनेवाले छात्र को नियमित बी.टेक उपाधि प्रदान किया जाएगा।

आर.28.3 उपाधि, अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट की सिफारिश और संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित होना है।

आर.29.0 संशोधन की शक्ति

आर.29.1 उक्त सभी विषयों के होते हुए भी समय समय पर किसी भी विनियम को संशोधित करने का हक अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट रखती है।

आर.30 ग्रीष्म कालीन कोर्स

आर.30.1 निदेशक/ उप निदेशक के अनुमोदन के साथ ग्रीष्म कालीन कोर्स प्रदान किया जा सकता है। कोई भी छात्र ग्रीष्म कालीन कोर्स में से दो से अधिक के लिए पंजीकृत नहीं सकता है जिसमें ग्रीष्म के दौरान चलाये गये संपर्क कोर्स भी शामिल है।

आर.30.2 सत्रांत परीक्षाओं की शुरूआत के पहले समसंख्यक सेमेस्टर के अंत में ग्रीष्म कालीन कोर्स घोषित किया जाएगा। छात्र को सूचना में निर्धारित समय के अंदर निर्धारित शुल्क भरकर पंजीकृत करना है।

आर.30.3 नियमित सेमेस्टर कोर्स के समान ही ग्रीष्म कालीन कोर्स के संपर्क सामायिक अवधि की संख्या भी होगी। ग्रीष्म कालीन कोर्स की मूल्यांकन प्रक्रिया भी नियमित सेमेस्टर कोर्स के अनुरूप ही होगा।

आर.30.4 ग्रीष्म कालीन कोर्स से पलटाव /वापसी अनुमेय नहीं है। सामान्यतः ग्रीष्म कालीन कोर्स के लिए कोई मेक-अप परीक्षाएँ (देखें आर.20.0) नहीं होगी।

आर.31 संपर्क कोर्स

आर.31.1 कोर कोर्स में 'यू' ग्रेड पाये अंतिम वर्ष के छात्र को ही वह नियमित सेमेस्टर के या ग्रीष्म कालीन के दौरान एक संपर्क कोर्स आयोजित किया जा सकता है। प्राध्यापक और छात्र के पारस्परिक स्वीकृति के साथ विभाग की सिफारिश पर ही यह कोर्स प्रदान किया जाएगा।

आर.31.2 नियमित सेमेस्टर या ग्रीष्म कालीन सेमेस्टर के दौरान चलाये जानेवाले संपर्क कोर्स में कोई भी छात्र दो से अधिक के लिए पंजीकृत नहीं करना है। यदि छात्र 2 एसटीसी के पंजीकृत करता है तो उस ग्रीष्म में संपर्क कोर्स के लिए योग्य नहीं होंगे।

आर.31.3 यदि उसी विषय पर नियमित या ग्रीष्म में प्रदान किया जाता है तो संपर्क कोर्स उस अवधिके दौरान नहीं दिया जाएगा।

आर.31.4 ऐसे अंतिम वर्ष के छात्र को, जो संपर्क कोर्स लेना चाहता है, अकादमी कोर्स के डीन को सेमेस्टर/ ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर के शुरूआत के पूर्व आवेदन देना है।

आर.31.5 संपर्क कोर्स के मूल्यांकन प्रक्रिया नियमित सेमेस्टर कोर्स के जैसे ही होगी।

आर.31.6 संपर्क कोर्स से पलटाव अनुमेय नहीं है।

ORDINANCES AND REGULATIONS for
B.Tech Degree Programme

ORDINANCES

- O.1** The minimum academic qualification for admission through Joint Seat Allocation Authority (hereafter JoSAA)/ Central Seat Allocation Board (hereafter, CSAB) to IIITDM Kancheepuram (hereafter, the Institute) is a pass in the final examination of 10+2 (Class XII) or its equivalent
- i) The +2 level examination in the 10+2 pattern of examination of any recognized Central/State Board of Secondary Examination, such as Central Board of Secondary Education, New Delhi, and Council for Indian School Certificate Examination, New Delhi.
 - ii) Intermediate or two-year Pre-University Examination conducted by a recognized Board/University.
 - iii) Final Examination of the two-year course of the Joint Services Wing of the National Defence Academy.
 - iv) Any Public School/Board/University Examination in India or in foreign countries recognized by the Association of Indian Universities as equivalent to 10+2 system.
 - v) H.S.C. Vocational Examination.
 - vi) A pass grade in the Senior Secondary School Examination conducted by the National Open School with a minimum of five subjects.
 - vii) 3 or 4-year diploma recognized by AICTE or a State Board of Technical Education.
- O.2** Admission to the particular branch of study shall be as decided during CSAB Counseling.
- O.3** The duration of the B.Tech programme will normally be 8 semesters.
- O.4** The award of merit scholarships to the B.Tech students will be governed by the regulations framed by the Academic Advisory Committee / Senate from time to time.
- O.5** The award of the B.Tech degree shall be in accordance with the regulations of the Academic Advisory Committee / Senate of the Institute.

REGULATIONS

R.1.0 Admission

- R.1.1 The number of seats in each branch of the B.Tech programme for which admission is to be made in the Institute, will be decided by its Academic Advisory Committee / Senate. Seats are reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and physically challenged candidates as per the Government of India orders from time to time.
- R.1.2 Admission to the B.Tech programme in any year will be based on performance in Joint Entrance Examination (JEE) Main and HSC examinations as per Central Board of Secondary Education (CBSE) guidelines through a counseling conducted by the JoSAA/ CSAB for the respective year.
- R.1.3 The eligibility criteria, consistent with ordinance O.1, for appearing at the JEE Main.
- R.1.4 The JoSAA/CSAB will decide on the procedure for conducting the JEE Main and preparing a merit list for the general category of students and a separate merit list for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Subject to minimum performance criteria in the examination decided by the committee from year to year, the JoSAA/CSAB will offer admission, in order of merit, from these lists to candidates taking into account the choice of branch indicated by the candidate and the available seats in each branch in the various Institutes.
- R.1.5 At the time of admission, a candidate should have appeared/ passed in the final examination of any of the qualifying examinations.
If any board awards only letter grades without providing an equivalent percentage of marks on the grade sheet, the candidate should obtain a certificate from the Board specifying equivalent marks, and submit it at the time of counseling. In case such a certificate is not provided by the candidate, the decision of the Joint Implementation Committee regarding his/ her eligibility shall be held final.
- R.1.6 Candidates has to fulfill the medical standards required for admission as set out in the Information Brochure sent along with the application form.
- R.1.7 The selected candidate will be admitted to the B.Tech programme after he/she fulfills all the admission requirements as indicated in the letter of admission after payment of the prescribed fees.
- R.1.8 If, at any time after admission, it is found that a candidate has not fulfilled all the requirements stipulated in the offer of admission, the Institute may revoke the admission of the candidate and report the matter to the Academic Advisory Committee / Senate.

R.2.0 Structure of the B.Tech Programme

- R.2.1 The programme of instruction will consist of:
- (i) A general core programme comprising basic sciences, engineering sciences, humanities, engineering arts, and mathematics;
 - (ii) An engineering core programme introducing the student to the foundations of engineering in his/her branch;
 - (iii) An elective programme enabling the students to take up a group of courses of interest to him/her; and
 - (iv) a project approved by the Department.
- In addition, a student should satisfactorily complete the prescribed NCC/NSO/NSS programme.

R.2.2 *The complete programme will consist of 5 categories: Humanities, Basic Sciences, Basic Engineering, Professional Major and Electives and distributed over eight semesters with two semesters per year.*

The professional major courses will commence from first semester onwards.

R.2.3 Every branch of the B.Tech programme will have a curriculum and course contents (syllabi) for the courses approved by the Academic Advisory Committee / Senate.

R.2.4 Credits are assigned to the courses based on the following general pattern: One credit for each lecture period; One credit for each tutorial period; One credit for each laboratory or practical or project session of three periods.

R.2.5. The curriculum of any branch of the B.Tech programme is designed to have a **total of approximately 175 credits for the award of the B.Tech degree.**

R.2.6 **No semester shall have more than six or more lecture based courses as prescribed in the curriculum carrying a maximum of 27 credits and four laboratory courses subject to the following constraints.**

Students may be (are) permitted to register for an additional course (backlog) from fifth semester onwards. However, in special cases, students of VII semester will be permitted to take seven lecture based courses if they are not already prescribed seven courses in previous semesters subject to:

- a) two-three lab slots out of the 4 recommended are free
- b) maximum number of credits registered in any semester shall not exceed 27.
- c) no withdrawal from any of the courses registered will be allowed except as per regulation 7.1
- d) the student's Faculty Adviser recommends the same.
- e) Students can apply to register one backlog course in V & VI semesters and two backlog course in VII & VIII semesters subject to a maximum of 27 credits in a semester.

R.2.7 Every course of the B.Tech programme will be placed in one of the fifteen categories listed in Table 1.

However, only students belonging to the VI or higher semesters are eligible to register for postgraduate level courses. However, every such student desiring to register for such a course must obtain the consent of the teacher offering the course.

Table 1 Categorization of Courses

Sl. no	Category	Code
1.	Humanities & Management Courses	HMC
2.	Basic Science Courses Physics / Chemistry/Mathematics / Life Science	BSC
3.	Basic Engineering Courses	BEC
4.	Professional Engineering Courses	PEC
5.	Allied Engineering Courses	AEC
6.	Professional / Career Development Industrial Lecture / Internships	PCD
7.	Design Courses	DES

Minimum number of credits to be earned for the award of B.Tech. Degree is 175.

R.2.8 The medium of instruction, examination and project reports will be English.

R.3.0 Faculty Adviser

R.3.1 To help the students in planning their courses of study and for getting general advice on the academic programme, the Institute will assign a certain number of students to a Faculty member who will be called their Faculty Adviser.

R.4.0 Class Committee

R.4.1 Every class of the B.Tech programme will have a Class Committee consists of Faculty and students.

R.4.2 The constitution of the Class Committee will be as follows: (i) one professor-not associated with teaching the particular class to be nominated by Director / Director to act as the Chairman of the Class Committee. (ii) course co-ordinator of each of the lecture based subjects (iii) Workshop Superintendent (iv) Two students from the respective class; and (v) Faculty Advisers of the respective class.

R.4.3 The basic responsibilities of the Class Committees are

- (a) to review periodically the progress of the classes,
- (b) to discuss problems concerning curriculum and syllabi and the conduct of the classes.
- (c) The method of assessment in the course will be decided by the teacher in consultation with the class committee and will be announced to the students at the beginning of the semester. However, for the common courses in the first three semesters of the B.Tech programme the method of assessment will consist of two quizzes and an end semester examination with weightages specified in R.19.1. Each class committee will communicate its recommendations to the Director / Dy Director.
- (d) The Class Committee without student members is responsible for the finalization of the semester results.
- (e) The Class Committees shall meet at least twice in a semester, once at the beginning of the semester, and once at the end of the semester to finalise the grades. However, it is recommended to meet once after the Quiz II.

R.5.0 Change of Branch

R.5.1 Change of discipline from one branch to another branch may be permitted subject to the following:

Type	From	To	Eligibility Criterion
Degree Conversion	B.Tech	Dual Degree	(i) 8.5 CGPA (ii) By the end of the III Yr of B.Tech programme (iii) No backlog courses on the date of application (iv) conversion would be allowed to the extent the original sanctioned strength for the respective programme is not altered by more than 10% (+-). Reservation rules as followed for regular admissions shall be followed and as per Govt. of India

Branch Transfer	B.Tech COE B.Tech EDM B.Tech MDM	B.Tech EDM / MDM B.Tech COE / MDM B.Tech COE / EDM	(ii) By the end of I Yr. B.Tech Other criterion as above.
-----------------	--	---	--

- R.5.2** Such change will be considered only at the end of the first semester. The performance of the first semester will be the basis for consideration for changes in branches.
- R.5.3** All students who have successfully completed the first semester will be eligible for consideration for change of branch subject to the availability of vacancies.
- R.5.4** In making a change of branch the strength of a class should not fall below the existing strength by more than ten percent and should not go above the sanctioned strength by more than ten percent. For this purpose, the strength in both cases refers to the total strength of the students in the class.
- R.5.5** However, a minimum of one student will be eligible for consideration for change of branch from each discipline at the end of the first semester irrespective of the regulation 5.4
- R.5.6** If a student with a higher GPA is not offered a particular branch because of other constraints this should not be offered to any other students with a lower GPA even if he is eligible on the basis of the existing norms.

R.6.0 Registration and Enrolment

- R.6.1** Except for the first semester, registration of a semester will be done during a specified week before end semester examination of the previous semester. Late registration/enrolment will be permitted with a fine as decided from time to time up to two weeks from the last date specified for registration.
- R.6.2** From the second semester onwards all students have to enroll on a specified day at the beginning of a semester. A student will be eligible for enrolment only if he / she satisfies R.10 and will be permitted to enroll only if he/she has cleared all dues to the Institute, Hostel, Library and the NCC Unit up to the end of the previous semester, provided he is not debarred for enrolment by a disciplinary action of the Institute.
- R.6.3** The registration sheet contains the course number, course name, number of credits and category for each course taken in that semester. The student makes the choice of course in consultation with his Faculty Adviser.
- R.6.4** The B.Tech students are also eligible to take extra courses apart from the courses prescribed in the curriculum viz one course in 5th, 6th, 7th semesters and not more than two courses in 8th semester subject to a maximum of 15 credits, provided a student has no backlog and should have earned CGPA of 7.0 & above at the end of previous semester. Students taking extra courses should obtain the prior approval of Director / Deputy Director. This will be shown in the grade card as EXT category and will be taken for CGPA calculation.

R.7.0 Registration Requirement

- R.7.1** The curriculum for any semester, except for the final semester will normally carry credits between 21 and 29.
If a student finds his/her load heavy in any semester, or for any other valid reason,

he/she may drop courses within three weeks of the commencement of the semester but before commencement of first quiz with the written approval of his/her Faculty Adviser. However, the student should ensure that the total number of credits registered in any semester should enable him/her to earn the minimum number of credits as specified in R.8.1.

R.8.0 Minimum Requirement to Continue the Programme

- R.8.1** A student should earn not less than 10 credits in the first semester, and 26 credits at the end of the second semester. Thereafter he must maintain an average of 14 credits per semester including first two semesters to continue his studies. However in the final semester a student may earn less than 14 credits if it is sufficient for him to fulfill the requirements for the award of the degree. If a student fails to earn credits every semester, as stated above, his/ her name will be struck off the rolls at the end of the semester.
- R.8.2** A student who has not completed the NCC / NSO / NSS requirements (see R.27) in first six semesters will not be permitted to continue the B.Tech programme.
- R.8.3** A student should have a minimum CGPA of 5.0 (see R.26.2) calculated for the courses successfully completed at the end of each semester. If the CGPA so calculated is below 5.0 or if he/she earns less than the average 20 credits. In the following semester if his CGPA is less than 5.0 or could not earn average 14 credits as per R.8.1, his name will be removed from the rolls.

R.9.0 Maximum Duration of the Programme

- R.9.1** A student is ordinarily expected to complete the B.Tech programme in eight semesters. However, a student may complete the programme at a slower pace by taking more time, but in any case not more than 12 semesters excluding semesters withdrawn or medical grounds etc. as per R.12. However, the students have to satisfy R.8.1 every semester, failing which their registration will be cancelled.

R.10.0 Temporary Withdrawal from the Programme

- R.10.1** A student may be permitted by the Director / Dy Director to withdraw from the programme for a semester or longer for reasons of ill health or other valid reasons. Normally a student will be permitted to discontinue from the programme only for a maximum continuous period of two semesters.

R.11.0 Discipline

- R.11.1** Every student is required to observe discipline and decorous behaviour both inside and outside the campus and not to indulge in any activity which will tend to bring down the prestige of the Institute.
- R.11.2** Any act of indiscipline of a student reported to the Director / Dy Director, will be referred to a **Discipline and Welfare Committee (DWC) constituted by the Academic Advisory Committee / Senate**. The Committee will enquire into the charges and recommend suitable punishment if the charges are substantiated. The recommendations of DWC will be reported to Director / Dy Director and authorize the Director / Dy Director to take appropriate action.
- R.11.3** **Appeal:** The student may appeal to the Director / Dy Director for discussions in Academic Advisory Committee / Senate and decision of AAC/Senate will be final.
- R.11.4** Ragging of any dimension is a criminal and non-bailable offence in our country and current State and Central legislations provide for stringent punishment including imprisonment. Once the involvement of a student is established in ragging, the

offending student will be dismissed from the Institution and will not be admitted into any other Institution. Avenues also exist for collective punishment, if individuals can not be identified in this inhuman act. Every senior student of the Institute along with the parent shall give an undertaking every year in this regard and this should be submitted at the time of enrolment.

R.12.0 Attendance

R.12.1 Every teaching staff member handling a class will take attendance till 3 calendar days before the last instructional day in the Semester.

R.12.2 A student who has an attendance lower than 85% whatever may be the reason for the shortfall in attendance will not be permitted to sit for the end semester examination in the course in which the shortfall exists.

His registration for that course will be treated as cancelled, and he shall be awarded 'W' grade (W stands for registration cancelled for want of minimum attendance) in that subject. **This grade shall appear in the grade card till the course is successfully completed.**

If the course is a hard core, the student should register for and repeat the course when it is offered next.

R.12.3 The teacher handling a course must finalise the attendance 3 calendar days before the last instructional day of the course in the semester.

The particulars of all students who have attendance less than 85% in that course will be announced in the class by the teacher himself. Copies of the same should also be sent to the Dean, Academic Courses and Heads of Departments concerned. Students who secure less than 85% should not be permitted to sit for end semester exam without the permission of the Dean Academic Courses.

R.12.4 Condonation of Attendance : Those students who have more than 85% attendance for the period other than their medical leave can be considered for condonation of attendance provided their overall attendance in a course including the period of illness does not fall below 40%.

(1) The 15% waiver that is granted shall accommodate absence of the student for personal reasons and minor illness.

(2) The institute can consider additional waiver for students who have suffered major / long term illness that requires hospitalization. Such candidates need to submit a medical certificate issued / endorsed by the Institute Doctor and it shall be the decision of the Director/his nominee to permit such students on a case to case basis as deemed appropriate.

R.13.0 Assessment Procedure - Tests and Examinations

R.13.1 The Academic Advisory Committee / Senate will decide from time to time on the system of tests and examinations in each subject in each semester.

R.14.0 System of Tests

R.14.1 In lecture / tutorial based subjects **two quizzes (tests)** in the case of common courses of first three semesters and for higher semester courses as decided by the class committee will be held in each course per semester. The details of weightage of marks for these quizzes have to be announced to the students, in consultation with the Class Committee, and the Director / Dy Director should be informed of the scheme at the beginning of the semester.

R.15.0 End Semester Examination

R.15.1 There will be one end semester examination of in each lecture based subject.

R.16.0 Project Evaluation

R.16.1 At the completion of a project the student will submit a project report that will be evaluated by duly appointed examiner/s.

The evaluation will be based on the report and a viva voce examination on the project.

R.16.2 The project reports of B.Tech students who have not completed their course work be evaluated in that semester itself and the result sent in confidential to the Dean, Academic Courses. The result of the project work evaluation will be declared by the Dean, Academic Courses only after the successful completion of the courses by those students.

R.17.0 Weightages

R.17.1 The following will be the weightages for different subjects : For common courses of first three semesters:

a) Pre End Sem comprising Quizzes / Projects / Assignments and End Semester Examination. Total marks of Pre End Sem should not exceed the total marks of End Sem i.e. the End Sem marks should be \approx 50%

b) Laboratory / Practice courses shall also follow a pattern similar to (a)

The weightage for theory courses of higher semesters of the B.Tech programme should not be below 40% each for both sessional assessment and end semester examination. Subject to the above constraint the Class Committee is free to decide the weightages in any course and announce to the students within 2 weeks from the beginning of the semester.

R.17.2 The markings for all tests, tutorial assignments (if any), laboratory work and examinations will be on an absolute basis. The final percentages of marks are calculated in each subject as per the weightages given in R.17.1.

R.18.0 Make-up Examination

R.18.1 Students who have missed the quizzes or end-semester examinations for valid reasons are eligible for a make-up examination. Only one make up examination for a particular course in a semester is permitted. Student who has missed quiz(zes) and the end semester examination in the same course due to genuine reasons like illness etc. may be permitted to write make-up examination for the missed End Sem Examination only. They should make an application to the Director / Dy Director / Examination Cell Courses **within ten days from the date of the examination missed explaining the reasons for their absence.**

Applications received after this period will not be entertained.

R.18.2 Official permission to take a make-up examination will be given under exceptional circumstances such as admission to a hospital due to illness.

- **Students residing in the Hostels should produce a Medical Certificate issued by the Chief Medical Officer of the Institute that he / she was admitted in the Hospital during the period of the missed quiz / exam.**

- Students residing in the Hostels and taking medical consultation with outside Doctors are required to obtain written permission from the Medical Officer, of the Institute Hospital **before they proceed for consultation.**

- **Students residing in the hostels but taking medical consultation with outside Doctors are required to obtain an endorsement on the certificate of**

treatment by the Medical Officer of the Institute Hospital.

- A student staying outside the Campus permanently / temporarily must produce a medical certificate from the Registered Medical Practitioner and the same should be duly endorsed by parent / guardian.
- Other documents related to the treatment (such as Prescriptions, bills of medicine etc.) might be asked to support the application for the medical leave.

R.18.3 A single make-up examination will be held about two weeks after the end-semester examination for those who are permitted to take make-up examination. The question paper will be common to all the students taking make-up examinations in a given subject.

However the question paper will be so structured that a student will be required to answer only parts of the paper carrying marks in proportion to the weightages of the tests / examinations missed by him / her.

R.18.4 A student who misses this make-up examination will not normally be given another make-up examination.

However in exceptional cases of prolonged illness resulting in the student missing a make-up examination, the Chairman of the Academic Advisory Committee / Senate, in consultation with the Dean of Academic Courses or with approval of the Academic Advisory Committee / Senate may permit the student to appear for a second make-up examination.

R19.0 Supplementary Examinations

Students who have secured U grade in any course are eligible to appear in the supplementary examinations as governed by the following regulations:

- (1) A student will be allowed to appear in the Supplementary Examination for any course.
- (2) Supplementary Examinations for ODD Semester Courses shall be conducted after the end of the End-Semester examinations of the Even Semester and vice versa respectively.
- (3) Students will have to register for the supplementary examinations on a per course basis, paying an examination fee of Rs.500 per course.
- (4) Students appearing in supplementary examination will be entirely graded on their performance in supplementary examination only.

Supplementary Examinations will be scheduled by the Institute for which the students have to register as per the circulars that are issued from time to time.

R.20.0 Subject-wise Grading of Students

R.20.1 Letter Grades Based on the semester performance, each student is awarded a final letter grade at the end of the semester in each subject. The letter grades and the corresponding grade points are as follows:

S	10	grade points	
A	9	"	
B	8	"	
C	7	"	
D	6	"	
E	4	"	
U	0	"	Unqualified / Failure
W	0	"	Failure due to insufficient attendance in course

I	0	"	Incompletely (Subsequently to be changed into Pass (E to S) or U grade in the same Semester)
X	0	-	Completed (in NSO/NCC/NSS)
Y	0	-	Incomplete (in NSO/NCC/NSS)

- R.20.2 A student is considered to have completed a subject successfully and earned the credits if he secures a letter grade other than U/ F or W or I in that subject. **A letter grade U/F or W in any subject implies a failure in that subject.**
A subject successfully completed cannot be repeated.

R.21.0 Method of Awarding Letter Grades

- R.21.1 A final meeting of the class committee without the student members will be convened within seven days after the last day of the end-semester examination. The letter grades to be awarded to the students for different subjects will be finalized at the meeting.
- R.21.2 Two copies of the results sheets for each subject, containing the final grade and attendance code and two copies with the absolute marks, the final grade and the attendance code should be submitted by the teacher to the concerned class committee chairman. After finalization of the grades at the Class Committee meeting, one copy with the absolute marks and one without the absolute marks but having only the grades and the attendance code will be forwarded by the Class Committee Chairman to the Director / Dy Director.

R.22.0 Declaration of Results

- R.22.1 After finalization by the Class Committee as per R.19.1 the Letter-Grades awarded to the students in each common course in the first two semesters and in the courses of the third semester offered in common to all the disciplines of the B.Tech programme, will be announced by the Academic Section. For the rest of the courses offered in the third semester and courses offered in the fourth and higher semesters by a department the letter grades awarded will be announced on the departmental notice board.
- R.22.2 **The W grade once awarded stays in the record of the student and is deleted when he completes the subject successfully later.** The grade acquired by him will be indicated in the grade card of the appropriate semester with an indication of number of attempts made in that course.
- R.22.3 **'U' grade obtained by the students will be deleted in the grade card once that course is successfully completed, indicating also the number of attempts made in that course.**

R.23.0 Re-examination of Answer Papers

- R.23.1 In case any student feels aggrieved, he can contact the teacher concerned within three weeks from the commencement of the semester immediately following the announcement of the results. The student shall have access to his answer paper/s in the end semester examination which may be shown to him by the teachers concerned. If the teacher feels that the case is genuine he may re-examine the case and forward a revised grade, if any, to Director / Dy Director through the Chairman of the Class Committee with justification for the revision.

R23.2 Disposal of Answer Scripts:

Answer scripts related to a course shall be preserved by the faculty for a period of 6 months from the date of results announced. After this period, the same shall be disposed of as scrap post shredding by the institute.

R.24.0 Course Repetition

R.24.1 A student earned U or W grade in a core course has to repeat it compulsorily when the course is offered next. A student securing U or W grade in an elective course, may repeat it if he so desires to get a successful grade. A course successfully completed cannot be repeated.

R.25.0 Grade Card

R.25.1 The grade card issued at the end of the semester to each student will contain the following:

- a) the credits for each course registered for that semester.
- b) the letter grade obtained in each course
- c) the attendance code in each course
- d) the total number of credits earned by the student upto the end of that semester in each of the course categories
- e) the Cumulative Grade Point Average (CGPA) of all the courses taken from the first semester

R.25.2 The GPA will be calculated according to the formula

$$GPA = \frac{\sum_i C_i \times GP}{\sum_i C_i}$$

where C_i = credit for the course, GP = the grade point obtained for the course and $\sum_i C_i$ = the sum of credits in over all courses taken in that semester, including those in which the student has secured U and W grades.

For the cumulative grade point average (CGPA) a similar formula is used where the sum $\sum_i C_i$ is the sum of credits in over all courses taken in all the semesters completed upto the point in time.

The CGPA based on the successfully completed courses is calculated, deleting the 'U' or 'W' grades, and is also shown separately in the grade card.

R.25.3 No class or division or rank will be awarded to the students at the end of their B.Tech programme.

R.26.0 NCC / NSO / NSS Requirements

R.26.1 All students admitted to the B.Tech programme will have to take either NCC or NSO / NSS as an extra-curricular programme. **NCC programme is not available for Foreign Nationals and Women students.**

R.26.2 The NCC programme will have to be completed in four semesters. NSO / NSS programme will be held as announced by the Gymkhana.

R.26.3 The NCC / NSO / NSS requirement should be completed with in first four semesters.

R.26.4 The minimum attendance requirement is 85%.

R.26.5 If a student falls short of the attendance requirements he / she should make up the deficiency as noted below:

- (i) If the absence is on valid ground, the deficiency will be made up in the extra NCC / NSO / NSS programmes to be offered during April of the same year.
- (ii) If the absence is unauthorized, the deficiency will have to be made up during

the following year. The deficiency in NCC will have to be made up in NSO / NSS programmes at the rate of four times the deficiency : each NCC / NSS class missed will be made up by four NSO classes. The deficiency in NSO / NSS classes will have to be made up at the rate of two classes for each class missed.

R.27.0 Scholarships and Tuition Fee Exemption

R.27.1 25% of the students admitted or 25% of the sanctioned strength, whichever is less, will be awarded Merit-Cum-Means (MCM) scholarship for the entire duration of the programme subject to the terms and conditions and at the rates approved by the Government of India from time to time.

These students are exempted from paying tuition fees.

In the cases of scholarships provided by private organizations, the rates and terms and conditions for the award of such scholarship shall be as approved by the Academic Advisory Committee / Senate.

In addition, 10% of the students admitted or 10% of the sanctioned strength, whichever is less, are exempted from payment of tuition fees for the duration of the programme.

In the case of the SC / ST candidates, the award of scholarships and other benefits will be in accordance with the rules framed by the Government of India.

The Director / Dy Director will lay down the administrative procedures to be followed in the selection of the students for the award of the scholarships consistent with existing Government regulations if any. The number and names of the selected candidates will be reported to the Academic Advisory Committee / Senate.

Renewal of these scholarships shall be governed by the following rules:

- (i) CGPA of the preceding two semesters prior to renewal must be greater than or equal to 7.0
- (ii) The student should not have any backlog subjects as on the date of application for renewal
- (iii) The student should have earned the requisite number of credits as stipulated by the B.Tech ordinances and regulations.
- (iv) The student has not involved in any act of indiscipline which led to a corrective measure being implemented by the Disciplinary Committee.

R.28.0 Eligibility for Award of the B.Tech Degree

R.28.1 A student shall be declared to be eligible for award of the B.Tech degree if he has

- a) registered and successfully completed all the core courses and projects;
- b) successfully acquired the minimum required credits as specified in the curriculum corresponding to the branch of his study within the stipulated time;
- c) earned the specified credits in all the categories of subjects;
- d) completed the NCC / NSO / NSS requirements;
- e) has no dues to the Institute, Hostels, Libraries, NCC / NSS / NSO etc. and
- f) no disciplinary action is pending against him / her.

For students visiting Universities abroad under Exchange programme of NUS/DAAD or any other University, the following will be followed for credit transfer:

The credits / grades indicated in the grade sheet obtained from the university where the student has done courses should be used by the student as part of his transcripts.

Institute transcripts should only indicate the courses, credits and grades completed

at IIITD&M and the courses and credits (without grades) done in other Universities in a particular semester.

The CGPA calculation based on credits done at Institute alone is to be considered for award of prizes.

The credits earned at Universities abroad will be taken into account for calculation of minimum required credits for award of degree.

R.28.2 B.Tech(Honours) Programme

A student shall declare to be eligible for award of B.Tech (Honours) subject to fulfillment of following rules:

- a) Honours programme should be opted for by the student at the end of the 4th semester
- b) Minimum CGPA of 9.0 (eligibility for registration and award)
- c) Successful completion of all courses in the first attempt with a grade of 'S' to 'D' only.
- d) Register for 09 additional credits related to the specialization as identified by the discipline coordinator.
- e) Student, who fails to satisfy the above conditions, shall be awarded regular B. Tech degree.

R.28.3 The award of the degree must be recommended by the Academic Advisory Committee / Senate and approved by the Board of Governors of the Institute.

R.29.0 Power to Modify

R.29.1 Notwithstanding all that has been stated above, the Academic Advisory Committee / Senate has the right to modify any of the above regulations from time to time.

R.30 Summer Term Course

R.30.1 A summer term course may be offered with the approval of the Director / Deputy Director. **No student should register for more than two courses during a summer term, including contact course during summer.**

R.30.2 Summer term courses will be announced at the end of the even semester before the commencement of the end semester examinations. A student will have to register within the time stipulated in the announcement by paying the prescribed fees.

R.30.3 The number of contact hours in any summer term course will be the same as in the regular semester course. The assessment procedure in a summer term course will also be similar to the procedure for a regular semester course.

R.30.4 **Withdrawal from a summer term course is not permitted.** No make up examination (see R.20) will be given for a summer term course ordinarily.

R.31 Contact Courses

R.31.1 A Contact course may be offered during the regular semester or summer term **ONLY** to a final year student who has obtained "U" grade in a CORE course. The course will be offered **ONLY** on the recommendation of the department with the mutual agreement of the teacher and the student.

R.31.2 No student should register for more than two contact courses during the semester or summer period. **If the students register 2 STC then they are not eligible for contact course during that summer.**

R.31.3 The contact course cannot be offered if a regular OR a summer course is offered on the same subject, during that period.

R.31.4 Such final year students, who wish to take contact courses, should apply to the Dean, Academic Courses before the commencement of the semester / summer term in which the contact course is to be taken.

R.31.5 The assessment procedure for a contact course will be similar to the procedure for the regular semester course.

R.31.6 Withdrawal from a contact course is not permitted.

.